न्यायालयः—प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर / श्रृंखला न्यायालय चंदेरी (म.प्र.) समक्ष—आनन्द प्रिय राहुल

सत्र प्रकरण कमांक 35/2011संस्थित दिनांक 28.02.2011अपराध कमांक 115/2010

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

...... <u>अभियोगी।</u>

बनाम्

कलीम खान पुत्र सलीम खान, आयु 37 साल, निवासी—चकला बाबड़ी, थाना चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

...... अभियुक्त।

न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 581/2010 में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 23.02.2011 से उद्भुत यह सत्र प्रकरण।

अभियोजन द्वारा अभियुक्त द्वारा श्री मुकेश सिंह राजपूत, अतिरिक्त लोक अभियोजक।

श्री अशोक कुमार चौरसिया, अधिवक्ता।

ः <u>निर्णय</u>ः

(आज दिनांक 11.09.2017 को घोषित किया गया।)

- 1. पुलिस थाना चंदेरी के दक्षिण दिशा में एक फलांग दूर स्थित पुराना बस स्टेंड चंदेरी में फरियादी अजमल भाई की ताज महल बीड़ी कंपनी का नकली रैपर छपवाकर उसे नकली बीड़ी में लगाकर आम जनता को बेईमानी से उत्प्रेरित कर, नकली रैपर की बीड़ी खरीदने हेतु उत्प्रेरित किया जिससे कि वह नकली रैपर में रही ताज महल बीड़ी को असली बीड़ी समझ कर रूपये परिदत्त कर सके और आम जनता के साथ छल किया गया व ताज महल बीड़ी कंपनी पर रहे रैपर को हूबहू छपवाकर नकली रैपर तैयार कर नकली बीड़ी पर बेईमानीपूर्ण तरीके से इस आशय से लगाया गया कि, तैयार किए गए नकली रैपर को असली के रूप में उपयोग किया जाकर कूटरचित दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग में लाया गया। जो कि धारा 420, 471 भा.द.वि. का आरोप अभियुक्त पर है।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, फरियादी अजमल भाई

जो कि ताज महल बीड़ी कंपनी का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है, उसकी कंपनी की बीड़ी का ट्रेडमार्क ताजमहल, दिल की पुकार उजाला नाम से है, जो रैपर पर छपा रहता है, जिसका ट्रेडमार्क नम्बर AFPB0487MXM001 वह अपनी कंपनी की बीड़ी चंदेरी में सप्लाई करता है। चंदेरी निवासी कलीम खान अपने साथियों के साथ उसकी कंपनी का नकली रैपर हू—बहू छपवाकर नकली बीड़ी पर लगाकर जनता के बीच बेच रहा है, जिससे उसकी कंपनी को लाखों रूपये का नुकसान हो रहा है। उसकी कंपनी द्वारा जानकारी किए जाने पर कलीम उसकी कंपनी का नकली रैपर अपनी नकली बीड़ी पर लगाकर जनता में बेचने से कंपनी की बीड़ी की गुणवत्ता में कमी आ रही है, बदनामी हो रही है। कलीम के छलपूर्वक कार्य से उसकी कंपनी को नुकसान हो रहा है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना चंदेरी में अपराध क्रमांक 115/10, अंतर्गत धारा— 420, 470, 471 प्रदर्श पी—1 के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।

- 3. विवेचना के दौरान विवेचक ने साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए, आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर मैमोरेडम धारा 27 साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत लेखबद्ध किए गए, तथा आरोपी के आधिपत्य से ताज महल बीड़ी के रैपर जप्त कर जप्ती पत्रक बनाए गए। विवेचक ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंदेरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, आदेश दिनांक 23.02.2011 अनुसार मामला उपार्पित हुआ था। माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 29.03.2011 को पारित आदेशानुसार मामला द्वितीय अपर सत्र न्यायालय मुंगवली में अंतरण पर प्राप्त हुआ, जहां से यह प्रकरण दिनांक 27.04.2017 को अंतरण पर श्रृंखला न्यायालय को प्राप्त हुआ।
- 4. रखे गये आरोपों को आरोपी ने तत्समय अस्वीकार किया था। धारा 313 दं.प्र.सं. के अधीन की गई परीक्षा के दौरान अभियुक्त का बचाव कथन यही रहा कि, वह वास्तव में निर्दोष हैं, उसे झूठा फसाया गया है।
- 5. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :--

एक— फरियादी अजमल भाई की ताज महल बीड़ी कंपनी का नकली रैपर छपवाकर उसे नकली बीड़ी

में लगाकर आम जनता को बेईमानी से उत्प्रेरित कर, नकली रैपर की बीड़ी खरीदने हेतु उत्प्रेरित किया जिससे कि वह नकली रैपर में रही ताज महल बीड़ी को असली बीड़ी समझ कर रूपये परिदत्त करे और आम जनता के साथ छल किया गया?

दो— फरियादी अजमल भाई ताज महल बीड़ी कंपनी पर रहे रैपर को हूबहू छपवाकर नकली रैपर तैयार कर नकली बीड़ी पर बेईमानीपूर्ण तरीके से इस आशय से लगाया गया कि, तैयार किए गए नकली रैपर को असली के रूप में उपयोग किया जाकर कूटरचित दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग में लाया गया?

निष्कर्ष के आधार

- 6. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में निवेदन किया कि उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों की पुष्टि बाबत प्रकरण में अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। जो साक्ष्य अभियोजन की ओर से पेश की गई है उनके अभिकथनों से उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों की पुष्टि नहीं हुई है। नकली रैपर व असली रैपर कौन से है, इस बाबत कोई जांच नहीं करायी गयी है, न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। बीडी नकली थी व नकली रैपर द्वारा विक्रय की जा रही थी, इस बाबत प्रकरण में अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।
- 7. अधिवक्ता ने आगे अपने तर्क में निवेदन किया कि, अभियोजन साक्षी अजमल भाई अ.सा.1 ने अपने अभिकथन की कंडिका 8 के मध्य में बताया है कि प्रदर्श पी—8 और 9 के रिजस्ट्रेशन लिलतपुर उत्तर प्रदेश का है, संपूर्ण भारत का नहीं है। जब रिजस्ट्रेशन ही अजमल भाई का चंदेरी में बीडी विकय का नहीं है तब चंदेरी में उनकी कंपनी की बीड़ी पर ताजमहल का मार्का लगाकर, ताजमहल का रैपर लगाकर बीड़ी विकय किया जाना असत्य है। वास्तव में फरियादी के परिवार के लोग चंदेरी में रहते हैं। अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस तथ्य की पुष्टि बाबत अजमल भाई अ.सा.1 ने अपने अभिकथन की कंडिका 9 में बताया है कि अब्दुल वकील अंसारी एडवोकेट है जो उसके चाचा के लडके है। अब्दुल वकील अंसारी नगर पंचायत का चुनाव लड़े थे। इसी रंजिश पर से प्रकरण में अभियुक्त को झूटा फसाया गया है। अभियुक्त धोबियाना मोहल्ला चंदेरी

का निवासी नहीं है। वह स्थायी रूप से चकला बाबडी मोहल्ला चंदेरी का निवासी है। चुनाव की रंजिश पर से फरियादी ने अपने चाचा वकील अंसारी एडवोकेट के कहने से अभियुक्त के विरूद्ध झूठा प्रकरण बनाया है। अभियुक्त को अभियोजन साक्ष्य के अभाव में उपरोक्त धाराओं के आरोप से दोष मुक्त किया जाए।

- 8. अभियोजन की ओर से विद्धान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अपने तर्क में निवेदन किया गया कि, अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उससे उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों की पुष्टि हुई है। अभियुक्त को धारा 420, 471 भा.द.स. के आरोप में कठोर सजा के दंड से दंडित किया जाए।
- 9. अभियुक्त के विरुद्ध अधिवक्ता व विद्धान अति. लोक अभियोजक के तर्क श्रवण के पश्चात अभिलेख पर आयी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि, अजमल भाई, असा.1 ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 2 में अभिकथन दिया है कि, वह अपनी यह बीडी लिलतपुर में बनाता है और जिसे चंदेरी में बेचता है व कंडिका 8 में यह अभिकथन दिया है कि, प्रदर्श पी—17 का पेन नंबर उसके नाम का ना होकर उसके पिता के नाम का है, उसके पिता मौजूद है। प्रदर्श पी—8 का रिजस्ट्रेशन लिलतपुर का है संपूर्ण भारत का नहीं है। प्रदर्श पी—9 का रिजस्ट्रेशन भी लिलतपुर उत्तरप्रदेश का है। प्रदर्श पी—17 का स्थयी लेखा संख्या प्रकरण में पिता की क्यों पेश की गई है, अजमल भाई अ.सा.1 ने, स्थायी लेखा संख्या अपने नाम की क्यों पेश नहीं की है इस बाबत उसने अपने अभिकथन में कोई स्पष्ट कथन नहीं बताया हैं।
- 10. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 में लेख है कि, उसकी कंपनी का ट्रेडमार्क नम्बर AFPB0487MXM001 है, वह अपनी कंपनी की बीडी चंदेरी में सप्लाई करता है। यहां, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है उक्त ट्रेडमार्क की बीडी विक्रय का कोई लायसेंस अजमल भाई असा.1 के पास चंदेरी में विक्रय करने का नहीं है। जैसा कि उसने अपने अभिकथन की कंथन की कंडिका 8 में बताया है।
- 11. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 में आगे लिखा है कि, चंदेरी निवासी कलीम खान अपने साथियों के साथ उसकी कंपनी का नकली रैपर हूबहू छपवाकर नकली बीडी पर लगाकर लगातार जनता के बीच बेच रहा है। जिससे उसकी कंपनी को

लाखों रूपये का नुकसान हो रहा है। इसकी पुष्टि हेतु अजमल भाई अ.सा—1 के अभिकथन के अवलोकन से, जिसने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 3 में अभिकथन दिया है कि अप्रैल 2010 की बात है उस दौरान उसकी बहिन की शादी थी और वह भरतपुर (राजस्थान) में था। भरतपुर में उसे उसके पल्लेदार, अब कहा कि ट्रांसपोर्टर कंपनी के पल्लेदारों मुबारिक आदि ने उसे टेलीफोन से यह सूचना दी कि, ताजमहल बीड़ी का माल ट्रांसपोर्ट पर आया है, उसने उनसे यह कहा कि आप भाडा ले लो और दो—चार दिन में वह आकर माल उठा लेगा। इस पर से उसने चंदेरी आकर ट्रांसपोर्ट पर देखा कि ट्रांसपोर्ट पर आया हुआ माल उसकी कंपनी का नहीं था। अब कहा कि ट्रांसपोर्ट पर आया हुआ माल ताजमहल ब्रांड के रैपर और लेबल रहे थे, यह माल उसका नहीं था, लेकिन उसके रैपर और लेबल का डुप्लीकेट तैयार माल था।

- अजमल भाई अ.सा–1 ने ऊपर कंडिका 3 में जो अभिकथन दिया है उक्त अभिकथन से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 में वर्णित तथ्य की पुष्टि नहीं होती है। यदि इस साक्षी का यह कथन सही होता कि, ट्रांसपोर्ट के पल्लेदारों मुबारिक अली आदि ने उसे टेलीफोन से यह सूचना दी कि ताज महल बीडी का माल ट्रांसपोर्टर पर आया है तो, इस तथ्य की पुष्टि पल्लेदार मुबारिक अली, अ.सा.—2, अनीश मोहम्मद अ.सा—3 के अभिकथन से होना चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। इन साक्षियों को सुझाव दिए जाने पर कंडिका 4 के मध्य में अभिकथन दिया है कि यह कहना गलत है कि उसके साथी हम्माल अनीस व उसने अजमल भाई को ललितपुर बताया था कि उनकी बीडी का रैपर झिल्ली लेबल आए हैं और वह आकर ले जाए तो इस पर से अजमल भाई ने कहा था कि उन्होने कोई माल नहीं बुलाया। जिससे स्पष्ट है कि अजमल भाई अ.सा.–1 ने जो अभिकथन दिया है कि टांसपोर्टर के हम्मालों ने जब वह बहिन की शादी में भरतपुर,(राजस्थान) में था तब उसे फोन पर सूचना मुबारिक अली हम्माल ने यह दी थी कि, ताजमहल बीडी का माल ट्रांसपोर्ट पर आया है, जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से पेश की गई साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि नहीं हुई है कि, अजमल भाई की कंपनी की बीडी का रैपर, झिल्ली व लेबल दिल्ली से ट्रांसपोर्ट पर आए थे। जिसकी सूचना हम्मालों ने उसे दी थी।
- 13. मुबारिक अली, अ.सा—2 व अनीस मोहम्मद अ.सा—3 अभियोजन के महत्वपूर्ण साक्षी है। इन दोनों साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया

है। इन दोनों साक्षियों ने अपने अभिकथन में स्पष्ट बताया है कि वह उपस्थित अभियुक्त को नहीं जानते है। प्रदर्श पी— 3, 4, 5 के गिरफ्तारी पंचनामा, मैमोरेडम धारा 27 साक्ष्य अधिनियम, संपति जप्ती पत्रक में वर्णित तथ्य की पुष्टि इन साक्षीगण के अभिकथन से नहीं हुई है। इन साक्षीगण के समक्ष अभियुक्त ने पुलिस को धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का प्रदर्श पी—4 का कोई कथन नहीं दिया था, जिससे मैमोरेडम में वर्णित तथ्य की पुष्टि इन साक्षीगण के न्यायालय में दिए गए अभिकथन से नहीं हुई है। इसी प्रकार जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—5 में वर्णित तथ्य की भी पुष्टि इन साक्षीगण के अभिकथन से नहीं हुई है।

- 14. नंदिकशोर शर्मा, अ.सा—4 व मनोज चौबे अ.सा—5 ने अपने अभिकथन में बताया है कि वह फरियादी अजमल को नहीं जानता है। प्रदर्श पी—2 पर उसने पुलिस के यह कहने पर जुआ पकड़ा है रूपए की जप्ती हो रही है तो, उसने प्रदर्श पी—2 के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उस समय वह कोरा था पुलिस वालों ने कहा था कि तुम इस पर दस्तखत कर दो वह बाद में लिखापढी कर लेंगे इस पर उसने उनके कहने पर हस्ताक्षर कर दिए थे। जिससे न्यायालय के मत में प्रदर्श पी—2 के जप्ती पत्रक में वर्णित अनुसार एक सफेद कागज पर ताजमहल बीडी के नकली लेबिल जो ए—1, ए—2 से चिंहित है एवं सफेद कागज पर असली लेबिल जो बी—1, बी—2 से चिंहित है, के अजमल भाई अ.सा—1 से जप्त होने की पुष्टि स्वतंत्र साक्षी नंदिकशोर शर्मा, अ.सा—4, मनोज चौबे अ.सा—5 के अभिकथन से नहीं हुई है।
- 15. अभियोजन साक्षी मनोज चौबे, अ.सा—5 ने अपने अभिकथन में स्पष्ट बताया है कि उसे नहीं पता कि फरियादी की कंपनी की बीडी का टेडमार्क क्या है उसके सामने फरियादी से पुलिस ने कुछ भी जप्त नहीं किया था। प्रदर्श पी—2 पर उसके हस्ताक्षर उस समय जब वह राजघाट जाने के लिए चंदेरी थाने की तरफ से निकल रहा था तो, थाने वालों ने बुलाकर हस्ताक्षर करवा लिए थे। उसने थाने वालों से यह नहीं पूछा था कि किस बात के हस्ताक्षर करवा रहे हो और न उन्होंने बताया था कि किस लिखापढी पर हस्ताक्षर करवा रहे है। इस साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने पर बताया कि उसे किस बीडी के रैपरों की असली व नकली होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और न ही

इस बीडी के लेबिल के संबंध में उसे कोई जानकारी हैं। इसी प्रकार का अभिकथन अभियोजन साक्षी नंदिकशोर शर्मा. अ.सा—4 ने दिया है।

- 16. प्रदर्श पी—2 का जो जप्ती पत्रक है, जिसके बाबत इन्हीं स्वतंत्र साक्षियों ने अपने अभिकथन में स्पष्ट बताया है कि ताजमहल बीडी रैपरों की असली व नकली होने के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और न ही इस बीडी के लेबिल के संबंध में कोई जानकारी है। विवेचक ने प्रदर्श पी—2 के जप्ती पत्रक में एक सफेद कागज पर ताजमहल बीडी के नकली लेबिल को ए—1 व ए—2 से चिंहित व एक सफेद कागज पर असली लेबिल जो बी—1 व बी—2 से चिंहित किस आधार पर किया था व किस आधार पर उन्हें जप्त किया था। इस तथ्य की पुष्टि जप्ती पत्रक के स्वतंत्र साक्षियों के अभिकथन से नहीं हुई है। स्वयं विवेचक श्री जंगबहादुर सिंह, अ.सा—6 ने अपने अभिकथन की कंडिका 1 में बताया है कि, फरियादी अजमल भाई के द्वारा प्रस्तुत करने पर उसने गवाहों के समक्ष एक सफेद कागज पर ताज महल बीडी के नकली लेबिल, एक सफेद कागज पर असली लेबिल जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—2 बनाया था जिस पर ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 17. यदि इस साक्षी ने फरियादी अजमल भाई के प्रस्तुत करने पर उक्त लेबिल जप्त किए होते तो, जिस व्यक्ति से जो लेबिल जप्त किए जा रहे है उस पर उसके हस्ताक्षर कराए जाना चाहिए थे, जो कि नहीं कराए गए है इसीलिए विवेचक जंगबहादुर सिंह अ.सा—6 अपने अभिकथन की कंडिका 2 के प्रारंभ में बताया है कि वह यह नहीं बता सकता कि प्रदर्श पी—2 पर फरियादी अजमल भाई के हस्ताक्षर है या नहीं। जबिक प्रदर्श पी—2 के जप्ती पत्रक पर यदि फरियादी के हस्ताक्षर होते तो, सम्पत्ति जप्ती पत्रक देखकर बता सकता था। जब हस्ताक्षर फरियादी के संपति जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—2 पर नहीं है फिर भी न्यायालय में यह असत्य अभिकथन दिया है कि फरियादी अजमल भाई के हस्ताक्षर है या नहीं वह नहीं बता सकता।
- 18. प्रदर्श पी—2 संपति जप्ती पत्रक महत्वपूर्ण है, जिसके कि द्वारा असली व नकली लेबिल जप्त किए गए हैं जो लेबिल जप्त किए गए थे, उनमें से असली लेबिल कौन से थे व नकली लेबिल कौन से थे उस स्थिति में जबिक यदि फरियादी से लेबिल जप्त किए जाते तो, उस पर उसके हस्ताक्षर कराए जाते, जो कि नहीं कराए गए है।

ऐसी स्थिति में विवेचक ने जो लेबिल जप्त किए थे उनमें से कौन से लेबिल नकली थे कौन से असली थे, यह उसने किस आधार पर माना था। जबिक बिना जांच के यह निर्धारित किया जाना संभव नहीं है कि जब लेबिल हूबहू बनाए गए है तब बिना विशेषज्ञ की जांच के कि, कौन से लेबिल असली है और कौन से लेबिल नकली है, बिना जांच के बताए जाना संभव नहीं था। जांच श्री जंगबहादुर सिंह अ.सा—6 द्वारा नहीं करायी गयी है। इस बाबत स्वयं अपने अभिकथन की कंडिका 2 के मध्य में बताया है कि उसने प्रदर्श पी—2 में उल्लेखित वस्तुओं के असली या नकली होने की जांच नहीं करायी थी।

- 19. जिससे स्पष्ट है कि वास्तव में श्री जंगबहादुर सिंह अ.सा—6 पुलिस का सहायक उप निरीक्षक है, जिसने बिना कर्तव्य के प्रति सर्तकता बरतते हुए बिना विशेषज्ञ से कौन से लेबिल व रेपर असली है, कौन से लेबिल व रेपर नकली है, का निर्धारित कर प्रदर्श पी—2 के जप्ती पत्रक द्वारा असत्य रूप से नकली लेबिल, असली लेबिल जप्त किए जाने का तथ्य प्रदर्श पी—2 में लेख किया गया है। जब यह पता नहीं था कि कौन से लेबिल नकली है, कौन से लेबिल असली है, फिर ए—1, ए—2 से चिंहित लेबिल नकली है व बी—1, बी—2 से चिंहित लेबिल असली है, यह कैसे लिखा गया व कैसे जप्त किया गया है, उस स्थिति में जबिक स्वयं इस साक्षी ने आगे अपने अभिकथन की कंडिका 2 के मध्य में ही अभिकथन दिया है कि उसने प्रदर्श पी—2 में उल्लेखित वस्तुओं के असली या नकली होने की जांच नहीं करवाई, स्वतः कहा कि विवेचक ने करवायी होगी। जबिक विवेचक श्री विजय दीक्षित अ.सा—7 ने इस बाबत कोई अभिकथन नहीं दिया है।
- 20. जिससे स्पष्ट है कि प्रदर्श पी—5 के जप्ती पत्रक के द्वारा ताज महल बीडी के रैपर झिल्ली लेबिल प्लास्टिक की टाप पर लेबिल जिस पर ताज महल का चित्र छपा हुआ था व जिस पर ताज महल बीडी लिखा हुआ था वह रैपर व लेबिल नकली थे या असली थे, इस बाबत कोई जांच विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान जांच नहीं करायी गयी है। जिससे जप्ती अनुसार रैपर व लेबिल व बीडी ताज महल कंपनी के टेडमार्क के रैपर व लेबिल नहीं थे व कंपनी के नकली रैपर हूबहू छापकर नकली बीडी पर लगाकर व नकली लेबिल लगाकर अभियुक्त द्वारा बीडी पर लगाकर जनता को बेचने से कंपनी

की बीडी की गुणवत्ता में कमी आ रही है व बदनामी हो रही है, के तथ्य की पुष्टि बाबत प्रकरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

- 21. ट्रांसपोर्टर कौन था जिसके ट्रांसफोर्ट पर कम्पनी का नकली रेपर झिल्ली, नकली बीडी पर लगाकर जनता में बेचने के लिये ट्रांसफोर्ट पर आये थे, ट्रांसफोर्ट का कोई नाम नहीं बताया गया है व ट्रांसपोर्टर का भी कोई नाम नहीं बताया गया है। ट्रांसफोर्ट पर किस व्यक्ति ने ताजमहल की बीड़ी के रैपर व लेबिल की झिल्ली कहां से कहां के लिये बुक करायी थी व कोई बिल्टी जिसे कि माल ट्रांसफोर्ट के माध्यम से भेजा गया था। इन महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु प्रकरण में अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियुक्त द्वारा जिस ट्रांसफोर्ट से बिल्टी के माध्यम से कथित नकली बीडी, रैपर, झिल्ली, बीडी की भेजी गई थी, के बावत प्रकरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।
- 22. नकली रैपर व लेबिल लगाकर नकली बीडी किसने व किस को विक्य की, इस बाबत प्रकरण में अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी— 5 में वर्णित अनुसार रैपर व लेबिल लगी हुई बीडी जप्त होने के तथ्य की पुष्टि नहीं हुई है। मैमोरेडम प्रदर्श पी—4 में वर्णित अनुसार कथन अभियुक्त द्व ारा दिया गया था, के तथ्य की पुष्टि भी अभिलेख पर आयी साक्ष्य से नहीं हुई है। जिससे मैमोरेडम अनुसार कथन के आधार पर अभियुक्त के आधिपत्य से प्रदर्श पी—5 में वर्णित अनुसार नकली रैपर, नकली लेबिल व नकली बीडी भी अभियुक्त के आधिपत्य से जप्त होने की पुष्टि नहीं हुई है।
- 23. मेमोरेण्डम धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी—4 में अभियुक्त का जो निवास का पता है हाल निवासी धोबीया मोहल्ला चन्देरी यही पता सम्पत्ति पत्रक प्रदर्श पी—5 में लिखा है। जबिक अभियुक्त की ओर से जो सूची अनुसार दस्तावेज पेश किये गये हैं उसका स्थायी निवास का पता चकलावाबड़ी चन्देरी लिखा है। जिससे स्पष्ट है कि वास्तव में अभियुक्त का मेमोरेण्डम प्रदर्श पी—4 व जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—5 में हाल निवासी धोबीया मोहल्ला चन्देरी का जहां वह निवास ही नहीं करता वहां का गलत पता लिखकर उसे असत्य रूप से जैसा कि अभियुक्त के अधिवक्ता ने बताया कि फरियादी के चाचा चन्देरी में रहते हैं और चुनाव की रंजिश पर से उसे झूंडा फंसाया है, यह तथ्य

सही है और अभियुक्त का असत्य पता लिखकर उसे झूंठा फंसाया गया प्रतीत होता है।

24. अतः न्यायालय के मत उपरोक्त विवेचन के पश्चात अभियोजन की ओर से पेश की गई साक्ष्य से उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों की पुष्टि नहीं हुई है। अभियोजन साक्ष्य के अभाव में अभियोजन कहानी अनेकानेक संदेहों से परे प्रमाणित न हुई होने से न्याय दृष्टांत — गंगासिंह विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, (2013) 7 एस.सी.सी. 778 में विनिचित किया गया है कि अनुसंधान की कमी के आधार पर अभियुक्त को तब ही दोष मुक्त किया जा सकता है, जब ऐसी कमी से अभियोजन की कहानी पर एक उपयुक्त संदेह उत्पन्न होता है। हीरालाल विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, (2002) 5 एस.सी.सी. 216 के अनुसार अनुसंधान में कमी यदि ऐसी हो जिससे अभियोजन कहानी पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है या अभियुक्त की प्रतिरक्षा का गंभीर प्रभाव पड़ता है तो, वह घातक होती है, के आलोक में अभियुक्त कलीम खान को संदेह का लाभ देते हुए भा.दं.सं. की धारा 420, 471 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 24. प्रकरण में जप्तशुदा ताज महल बीड़ी के रैपर दो पैकेट, जो दो प्लास्टिक की बोरी में शीलबंद है, अपील अवधि पश्चात् अनुपयोगी व मूल्यहीन होने से नष्ट किए जावे अथवा अपील होने की दशा में सुसंगत आदेश का पालन किया जावे।
- 25. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
 निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
 में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

(आनन्द प्रिय राहुल)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोकनगर, श्रृंखला न्यायालय चंदेरी, म.प्र. (आनन्द प्रिय राहुल)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोकनगर, श्रृंखला न्यायालय चंदेरी, म.प्र. //11//

प्रतिलिपि:— जिला दंडाधिकारी, अशोकनगर की ओर द.प्र.सं. की धारा 365 के अधीन सूचनार्थ प्रेषित है।

> (आनन्द प्रिय राहुल) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोकनगर, म.प्र.